उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात अपील वाद संख्या – 02/2020

बिपिन कुमार ओझा बनाम् राज्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
19/02/2021	**–:: आदेश ::–** अभिलेख उपस्थापित। प्राधिकृत पदाधिकारी–सह–वन प्रमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ के न्यायालय में दायर राज्यसात वाद संख्या–154/2019 हाईवा ट्रक संख्या–JH-01AQ-9030 के स्वामी में दिनांक–16.01.2020 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। दिनांक–07.02.2020 को प्रविष्टि के बिन्दु पर अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का बहस सुनने के उपरान्त वाद अंगीकृत करते हुए निम्न न्यायालय का अभिलेख प्राप्त किया गया तथा सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ की गई। अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कहना है कि निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसंगत् नहीं है। इनका यह भी कहना है कि उक्त ट्रक पर लदा कोयला सी०सी०एल० उरीमारी पोटंगा, पो०–सौन्दा (बी०), साईडिंग–रामगढ़ से विधिवत चलान के माध्यम से निर्धारित गन्तव्य स्थान पर पहुँचाने हेतु ट्रास्पोर्टिंग किया जा रहा है। पतरातू थाना द्वारा दायर प्राथमिकी काण्ड संख्या–399/2018, दिनांक–23.12.2018 में लगाये गये आरोप निराधार एवं असत्य है, क्योंकि उक्त कोयला वन भूमि सीमा अन्तर्गत अवैध उत्खनन नहीं किया गया है और न ही अधिग्रहित वन क्षेत्र के अन्तर्गत जप्त किया गया है। अपने दावे के समर्थन में सी०सी०एल० से निर्गत चलान की प्रति समर्पित किया गया है। इन्होंने निम्न न्यायालय द्वारा भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52 (3) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई को Set-aside करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने हेतु अनुरोध किया गया है। सरकारी अधिवक्ता का कहना है कि भारतीय वन अधिनियम–1927 की धारा–52(3) के तहत् राज्यसात की कार्रवाई तभी विधिवत माना जा सकता है, जब जप्त कोयला वन भूमि सीमान्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र से अवैध उत्खनन किया गया है। अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता एवं सरकारी अधिवक्ता का बहस सुना तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश, अभिलेख में संलग्न कागजातों का अवलोकन किया, स्पष्ट है कि :–	

(1) जप्त वाहन संख्या– JH-01AQ-9030 में लदा कोयला सी०सी०एल०, बरका सयाल, उरीमारी से निर्गत चलान का सत्यापन परियोजना पदाधिकारी, उरीमारी परियोजना से प्राप्त पत्र संख्या–4195, दिनांक–17.12.2020 से की गई है।

(2) निम्न न्यायालय से प्राप्त अभिलेख में संलग्न प्राथमिकी एवं जप्ती सूची तथा पारित आदेश में अवैध खनन की भूमि से सम्बन्धित खाता/प्लॉट का कोई ज़िक्र नहीं है। अतः इस बात की पुष्टि नहीं हो पा रही है कि जप्त की गई वाहन में लदा कोयला अधिसूचित वन सीमा अन्तर्गत उत्खनित है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा–33 के उल्लंघन के आरोप में धारा–52(3) के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु पर्याप्त साक्ष्य/आधार नहीं है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा राज्यसात से सम्बन्धित कार्रवाई के सम्बन्ध में पारित आदेश को Set-aside करते हुए अपीलार्थी द्वारा दायर अपील आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद निस्तारित किया जाता है। निम्न न्यायालय का अभिलेख वापस करें। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त, 19/02/21
रामगढ़।

उपायुक्त, 19/02/21
रामगढ़।

Digitally signed by SANDEEP SINGH
Date: 2021.03.17 14:06:42 +05:30
Reason: CERTIFIED BY
Location: 192.168.43.219